

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा,

पीठासीन अधिकारी: डा० रविन्द्र गोस्वामी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 14/2015 (प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नं० 2015/00006

मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड, आदित्य नगर, मोडक तहसील  
रामगंजमण्डी द्वारा श्री एन० के० माहेश्वरी, फैक्टरी मेनेजर एवं पावर  
ऑफ एटार्नी होल्डर मेसर्स मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड, आदित्य नगर,  
मोडक, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)

(प्रार्थी)

बनाम

1. रामगोपाल पुत्र रामसुख जाति माली
2. भूली बाई पत्नी स्व. हीरालाल जाति माली मृतक जय का०मु०-  
2/1 भरोसी बाई पुत्री हीरालाल जाति माली  
2/2 कौशल्या बाई पुत्री हीरालाल जाति माली  
2/3 प्रेम बाई पुत्री हीरालाल जाति माली  
2/4 बरजी बाई पुत्री हीरालाल जाति माली  
2/5 राममूर्ति पुत्री हीरालाल जाति माली

3. बालचन्द पुत्र हीरालाल जाति माली
4. कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल जाति माली
5. किशनलाल पुत्र हीरालाल जाति माली

निवासीगण ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

(प्रतिपक्षीगण)



उपस्थित :-


- 1 श्री मनीष गुप्ता, (अभिभाषक प्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89(4) भू०राजस्व अधिनियम  
1956, बाबत मुकर्रर फरमाये जाने मुआवजा  
एवं खनन् कार्य हेतु स्वीकृति दिये जाने।

निर्णय

दिनांक :-19.03.2024

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी की ओर से जय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी कम्पनी का माईनिंग लीज एरिया ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी में प्रतिपक्षीगण के शामलाती खाते मे ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी मे ख० नं० 2511 रकबा 1.40 हेक्टर ख०नं० 2513 रकबा 1.46 हे०, कुल 2 किता की रकबा 2.86 हे०कृषि भूमि स्थित है उक्त भूमि प्रार्थी मंगलम सीमेन्ट लि० के खनन क्षेत्र (माईनिंग लीज एरिया) मे आती है । प्रतिपक्षीगण की उक्त भूमि कृषि की दृष्टि से अनउपजाऊ हल्की किस्म की पथरीली भूमि है जो अक्सर पडत रहती है किन्तु सरफेस (Surface ) के अन्दर इसमे लाईम स्टोन (Limestone ) मौजूद है जो कि केवल सीमेन्ट उत्पादन के काम मे प्रयोग होता है । प्रार्थी कम्पनी का खनन कार्य प्रतिपक्षीगण की उक्त भूमि के पास चल रहा है तथा आगे की चाल इस भूमि मे ही प्रारंभ होने वाली है इस कारण प्रार्थी कम्पनी को प्रतिपक्षीगण के खाते की उपरोक्त भूमि की खनन कार्य हेतु अतिशीघ्र आवश्यकता है । प्रार्थी कम्पनी प्रतिपक्षीगण से आपसी बातचीत द्वारा भी मुआवजा तय करके भूमि लेने को तैयार है । इस संबंध मे प्रार्थी कम्पनी ने प्रयास भी किया किन्तु प्रतिपक्षीगण तैयार नही हुआ एवं टालमटोल करता रहा । इस कारण प्रार्थी को मुआवजा निर्धारण हेतु यह प्रार्थना

  
जिला कलेक्टर  
कोटा

पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी कम्पनी प्रतिपक्षीगण को उचित मुआवजे की राशि अदा करने को हमेशा तत्पर है एवं तैयार है। इस कारण प्रार्थी कम्पनी को न्यायालय से उचित मुआवजा तय कराकर मुआवजा अदा कर उक्त भूमि पर खनन कार्य की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। अतः प्रतिपक्षीगण के शामलाती खाते में ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी में ख० नं० 2511 रकबा 1.40 हेक्टर ख० नं० 2513 रकबा 1.46 हे०, कुल 2 किता की रकबा 2.86 हे० भूमि का मुआवजा तय करके प्रार्थी कम्पनी को खनन कार्य की स्वीकृति दिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरण में नायब तहसीलदार चेचट एवं खनिज अभियन्ता, रामगंजमण्डी से संयुक्त मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांत की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बहस में कथन है कि प्रार्थी मंगलम सीमेण्ट लिमिटेड, मोडक एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है, जो सीमेण्ट का उत्पादन का कार्य ग्राम मोडक, तहसील रामगंजमण्डी में करती है। प्रार्थी कम्पनी का माइनिंग लीज़ एरिया ग्राम चेचट, बुधखान, फतेहपुर, सोहनखेडा वगै० 9 ग्रामों में 8,942 वर्ग किलोमीटर भू-क्षेत्र खनन कार्य हेतु केन्द्रीय सरकार की सहमति से राजस्थान सरकार के खनन विभाग द्वारा माइनिंग लीज़ स्वीकृत है, जो इस समय भी प्रभावशील है। श्री एन० के० माहेश्वरी प्रार्थी कम्पनी के फेक्टरी मेनेजर है एवं पावर ऑफ एटोर्नी होल्डर है, जिन्हें दावा, जवाबदावा, प्रार्थना पत्र स्वयं के हस्ताक्षर से प्रस्तुत करने, शपथ पत्र प्रस्तुत करने न्यायालय में उपस्थित होकर बयान देने अभिभाषक नियुक्त करने, राजीनामा करने एवं समस्त कानूनी कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया गया है। प्रार्थी कम्पनी की दो सीमेण्ट उत्पादन इकाईयां मंगलम सीमेण्ट व नीर श्री सीमेण्ट आदित्य नगर मोडक में स्थित है, उक्त इकाईयों की उत्पादन क्षमता 3500 टन सीमेण्ट प्रतिदिन है, और उसकी पूर्ति के लिये काफी रॉ मेटेरियल की आवश्यकता बनी रहती है इसकी पूर्ति स्वीकृत माइनिंग लीज़ के अन्तर्गत स्थित भूमि से करनी होती है।
4. प्रतिपक्षीगण के शामलाती खाते में ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी में ख० नं० 2511 रकबा 1.40 हेक्टर ख० नं० 2513 रकबा 1.46 हे०, कुल 2 किता की रकबा 2.86 हे० भूमि प्रार्थी कम्पनी के खनन क्षेत्र माइनिंग लीज़ एरिया में आती है। प्रतिपक्षीगण की उक्त भूमि साधारण कृषि की दृष्टि से अनउपजाऊ हल्की किस्म की पथरीली भूमि है, जो अक्सर पडत रहती है, किन्तु सरफेस (Surface) के अन्दर इसमें लाइम स्टोन (Limestone) मौजूद है जो कि केवल सीमेण्ट उत्पादन के काम में प्रयुक्त होता है। प्रार्थी कम्पनी का खनन कार्य अप्रार्थीगण की उक्त भूमि के पास चल रहा है तथा आगे की चाल इस भूमि में ही प्रारम्भ होने वाली है, इस कारण प्रार्थी कम्पनी को प्रतिपक्षीगण के खाते की उपरोक्त भूमि की अतिशीघ्र आवश्यकता है। प्रार्थी कम्पनी प्रतिपक्षी से आपसी बातचीत द्वारा भी मुआवजा तय करके भूमि लेने को तैयार है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी कम्पनी ने प्रयास भी किया, किन्तु प्रतिपक्षीगण तैयार नहीं हुए एवं टालमटोल करते रहे। प्रार्थी कम्पनी प्रतिपक्षीगण को उचित मुआवजे की राशि अदा करने को हमेशा तत्पर एवं तैयार है। इस कारण प्रार्थी कम्पनी को माननीय न्यायालय से उचित मुआवजा तय करा कर मुआवजा अदा कर उक्त भूमि पर खनन कार्य की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। अतः प्रतिपक्षीगण के शामलाती खाते में ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी में ख० नं० 2511 रकबा 1.40 हेक्टर ख० नं० 2513 रकबा 1.46 हे०, कुल 2 किता की रकबा 2.86 हे० भूमि का मुआवजा तय करके प्रार्थी कम्पनी को खनन कार्य की स्वीकृति फरमाई जावे एवं राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि के सम्बन्ध में नोट दर्ज किए जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।




  
जिला कलेक्टर  
कोटा

5. अभिभाषक प्रार्थी ने दोराने बहस प्रार्थी कम्पनी की ओर से श्री एन0 के0 माहेश्वरी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए बताया कि प्रार्थी कम्पनी मैसर्स मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड को राज्य सरकार द्वारा माईनिंग लीज स्वीकृत की हुई है, माइनिंग लीज की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की गयी है, जो प्रदर्श-1 है। कम्पनी का माईनिंग लीज का रजिस्ट्रेशन दिनांक 21.02.1977 को हुआ था माईनिंग लीज की अवधि 20 वर्ष तक के लिये थी, इससे पहले ही दिनांक 31.10.1995 को माइनिंग लीज रिन्यू करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था। कम्पनी की ओर से श्री एन.के. माहेश्वरी को कम्पनी की ओर से अधिकृत किया गया है जिसकी असल कोपी प्रदर्श-2ए है। प्रतिपक्षीगण के शामिली खाते में ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी में ख0 नं0 2511 रकबा 1.40 हेक्टर ख0नं0 2513 रकबा 1.46 हे0, कुल 2 किता की रकबा 2.86 हे0 भूमि प्रार्थी मंगलम सीमेन्ट लि0 के खनन क्षेत्र माइनिंग लीज एरिया में आती है, जिसकी पुष्टि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी प्रदर्श-3 से होती है। सत्यप्रतिलिपी नक्शा ट्रेस प्रदर्श-5 है। खसरा गिरदावरी प्रदर्श-4 है, लिस्ट भूमि जो मंगलम सीमेन्ट लिमिटेड की लीज क्षेत्र में है ग्राम चेचट प्रदर्श-2 है। माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार दिनांक 23.01.2018 को नायब तहसीलदार चेचट पटवारी हल्का बुधखान, खनिज अभियन्ता रामगंजमण्डी एवं अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण किया गया था, और मौका रिपोर्ट बनाई गई थी, उक्त मौका रिपोर्ट प्रदर्श-8 है। खनिज अभियन्ता, राजमगंजमण्डी के पत्र क्रमांक/खअ/राम/सी.सी./एमएल2 / (1976)2015/565 दि0 23.02.2015 जिसके द्वारा कम्पनी मंगलम सीमेन्ट की लीज अवधि दिनांक 31.03.2030 तक बढ़ा दी गई है, जो प्रदर्श-7 है।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्त की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 के तहत खनिजों, खानों, पत्थर की खानों सम्बन्धी उपबन्ध किया हुआ है, जिसके अनुसार समस्त खनिजों खानों के अधिकार निहित होंगे, और राज्य सरकार को ऐसे अधिकार के उपभोग के लिए आवश्यक अधिकार है। राज्य सरकार अपने उपभोग अन्य को अभिहस्तांतरित कर सकती है। अभिहस्तांतरित करने की स्थिति में खनिजों खानों के उपभोग का अधिकारी अभिहस्तांतरिती को हो जाता है। प्रार्थी कम्पनी का माईनिंग लीज एरिया ग्राम चेचट, बुधखान, फतेहपुर, सोहनखेडा वगैरे 9 ग्रामों में 8,942 वर्ग किलोमीटर भू-क्षेत्र खनन कार्य हेतु केन्द्रीय सरकार की सहमति से राजस्थान सरकार के खनन विभाग द्वारा माईनिंग लीज स्वीकृत है, जो इस समय भी प्रभावशील है। प्रार्थी ने अधिकार लीज के माध्यम से खनिजों (लाइम स्टोन) के दोहन के अधिकार प्राप्त कर रखे हैं। प्रार्थी कम्पनी का माईनिंग लीज का रजिस्ट्रेशन दिनांक 21.2.1977 को हुआ था माईनिंग लीज की अवधि 20 वर्ष तक के लिये दिनांक 20.2.1997 तक थी, इससे पहले ही दिनांक 31.10.1995 को माइनिंग लीज रिन्यू करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था। खनिज अभियन्ता, राजमगंजमण्डी के क्रमांक/ खअ/ राम/ सी.सी./ एमएल2/(1976) 2015/565 दि0 23.02.2015 जिसके द्वारा कम्पनी मंगलम सीमेन्ट की लीज अवधि दिनांक 31.03.2030 तक बढ़ा दी गई है। माईनिंग इन्जिनियर रामगंजमण्डी ने इस बाबत प्रमाण पत्र जारी किया था, असल प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी प्रदर्श-7 है। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

7. प्रकरण में नायब तहसीलदार चेचट एवं खनिज अभियन्ता रामगंजमण्डी की संयुक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 23.01.2018 के अनुसार "उक्त खसरा नम्बर मंगलम सीमेन्ट लि0 मोडक के खनन लीज क्षेत्र में स्थित है। उक्त खसरा नम्बर काश्त योग्य है। कम्पनी द्वारा वर्तमान में जिस जगह पर खनन किया जा रहा है, वहां से खसरा नं0 2511 की दूरी 850 मीटर. एवं ख0नं0 2513 की दूरी लगभग 750 मीटर दूरी पर स्थित है।"



  
जिला कलेक्टर  
कोटा

8. उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रतिपक्षीगण की खातेदारी की भूमि प्रार्थी कम्पनी के लीज़ ऐरिया क्षेत्र में स्थित होने तथा प्रार्थी कम्पनी की खनन चाल प्रतिपक्षी के उक्त खातेदारी आराजी के नजदीक आने की स्थिति को देखते हुए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 89 के अधीन लीजी को खनन कार्य का मुआवजा भुगतान करने की स्थिति में स्वीकृति दी जा सकती है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 89(4) के तहत प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादग्रस्त भूमि पर मुआवजा भुगतान कर खनन कार्य हेतु स्वीकृति चाही है, जिसके लिए कलेक्टर सक्षम है। प्रतिपक्षीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में उचित मुआवजा राशि की मांग की है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी कम्पनी को प्रतिपक्षीगण के शामलाती खाते में ग्राम चेचट तहसील रामगंजमण्डी में ख0 नं0 2511 रकबा 1.40 हेक्टर व खसरा नम्बर 2513 रकबा 1.46 हे0 कुल 2 किता की 2.86 हे0 भूमि कृषि भूमि स्थित है उक्त भूमि पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 89 के अधीन ग्राम चेचट, जिला कोटा की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी दर अनुसार भूमि का मुआवजा भूमि अर्जन के नये नियम "Right to Fair Compensation and Tranparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2013" के प्रावधानों के अन्तर्गत मुआवजा निर्धारित करते हुए निम्न शर्तों पर स्वीकृति दिया जाना उचित समझते हुए प्रार्थी कम्पनी को वाके ग्राम चेचट की उक्त भूमि पर खनन कार्य करने की निम्न शर्तों के आधार पर स्वीकृति दी जाती है।
1. प्रार्थी कम्पनी द्वारा वर्तमान डी0एल0सी0 दर प्रति हैक्टर की दर से उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी द्वारा मुआवजा भूमि अर्जन के नये नियम "Right to Fair Compensation and Tranparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2013" के प्रावधानों के अन्तर्गत 2 माह की अवधि में तय किया जाकर चेक से अप्रार्थीगण को उनके हिस्से अनुसार मुआवजा राशि का भुगतान किया जावेगा।
  2. उक्त भूमि का खाता बदस्तूर अप्रार्थीगण के नाम ही रहेगा, मुआवजा राशि भुगतान करने के बाद केवल राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी कम्पनी द्वारा खनन कार्य करने का नोट अंकित किया जावेगा।
  3. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत उक्त कृषि भूमि पर खनन कार्य करने के सम्बन्ध में देय सरफेस रेन्ट प्रार्थी कम्पनी द्वारा अदा किया जावेगा।
  4. उक्त आदेश प्रार्थी कम्पनी की माईनिंग लीज एवं उसके नवीनीकरण एवं उसकी शर्तों के अनुसार एवं उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों के अधीन प्रभावी होगा।
  5. प्रार्थी द्वारा अरबन एसेसमेन्ट एवं प्रीमियम राशि इस संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार देय होगी।
  6. पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत यदि पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है, तो प्रार्थी कम्पनी द्वारा ही पंजीयन कराया जावेगा।
  8. उक्त आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ़्तर हो।
- 10 निर्णय आज दिनांक 19.03..2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी  
जिला कलेक्टर, कोटा)  
जिला कलेक्टर  
कोटा